# कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

## !! विविध आदेश !!

क्रमांक– 04 /लेखा–कोविड–19/2020 हरदा, दिनांक 10/01/2022

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालयों में प्रकरणों के भौतिक एवं आभासी कार्य संपादन हेतु रजिस्ट्री परिपत्र क्र ए/136/2022 जबलपुर दिनांक 07.01.2022 के परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि, प्रकरणों की सुनवायी आभासी/भौतिक या हाईब्रिड मोड से किया जाना सुनिश्चत करें, तथा माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से दिये गये दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आगामी आदेश तक, दिनांक 10.01.2022 से 14.01.2022 तक, जिला न्यायालय हरदा, तहसील न्यायालय खिरकिया/टिमरनी एवं कुटुम्ब न्यायालय हरदा के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :–

**निर्देश**

01. सिविल जिला हरदा में स्थित सभी न्यायालयों में न्यायाधीशगण अपने स्टॉफ सहित नियमानुसार प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10:30 से सायं 05:30 बजे तब उपस्थित होकर कार्य संपादित करेंगे।
02. न्यायिक अधिकारी केवल उन्हीं प्रकरणों में सुनवाई आभासी/भौतिक रूप से अर्थात हाइब्रिड मोड से करेंगे जिन्हें तर्क सुनकर निराकरण किया जा सकता है या तर्क हेतु नियत प्रकरणों में केवल तर्क श्रवण कर आदेश पारित करेंगे। तर्क हेतु नियत प्रकरणों में केवल अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर यथासंभव स्थगन देने की प्रवृत्ति से विरत रहेंगे।
03. अर्जेन्ट प्रकरणों के मामलों में सुनवाई यथावत रहेंगी।
04. अपरिहार्य परिस्थिति के अतिरिक्त, आदेश प्रत्रिका पर अधिवक्तागण के हस्ताक्षर न कराये जाये।
05. प्रत्येक न्यायालय आगामी कार्य दिवस में नियत प्रकरणों की सूची (कॉज लिस्ट) न्यायालय के बाहर सूचना पटल पर एक दिन पूर्व लगायेंगे एवं उसी सूची (कॉज लिस्ट) अनुसार प्रकरणो की सुनवाई की जायेगी।
06. किसी भी न्यायालय में अविक्तागण की संख्या सुनवाई के समय न्यून रहेगी, केवल जिस प्रकरण को सुनवाई में लिया जा रहा है उसकी प्रकरण से संबंधित अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित करेंगे।
07. न्यायालय परिसर में पक्षकारों का प्रवेश अत्यावश्यक न होने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
08. पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये कि अधीनस्थ सथी थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि सभी जमानत प्रकरणों में केस डायरी प्रधान जिला एवंसत्र न्यायाधीश, हरदा की ई–मेल आई.डी. dcourthar-mp@nic.in पर भेजें।

निरंतर...........

09. न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति केवल वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्मय से ही कराये जाये। प्रथम रिमाण्ड की स्थिति में कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से कराया जाये।

10. अधिकवक्तागण कार्यकारिणी से अनुरोध है कि वे इस तथ्य का ध्यान रखेंगे कि कोविड–19 प्रोटोकालॅ का पालन हो रहा है या नहीं, बार रूम में अधिकवक्तागण अत्यधिक संख्या में एकत्रित न हो और वे सर्जिकल / एन–95 मास्क पहने बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें, सैनेटाईजर का समय–समय पर उपयोग करें, पर्याप्त दूरी बनाये रखें।

11. समस्त न्यायिक अधिकारी / कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, वे कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, किसी भी स्थान पर एकत्रित होकर बातचीन न करें, सर्जिकल / एन–95 मास्क के बिना न्यायायल परिसर में प्रवेश न करें एवं समय–समय पर सैनेटाइजर का प्रयोग करें ।

12. समस्त न्यायिक अधिकारीगण / कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, वे न्यायालय कक्ष में बाहर स्थित सैनेटाईजर का उपयोग करने के पश्चात् ही न्यायालय में प्रवेश करें।

13. कोविड अनुपानल अधिकारी(विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटीज) हरदा) को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में अपनी टीम के साथ भ्रमण कर कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करावे।

14. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि, मुख्य द्वार कमांक 01 के अतिरिक्त शेष न्यायालय परिसर के दोनों द्वार किसी भी प्रकार के आवागमन हेतु बंद रहेंगे, केवल मुख्य द्वार से अधिकारीगण / कर्मचारीगण / अधिवक्तागण को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाये जाने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

Sd

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक–40 / लेखा–कोविड–19 / 2020 हरदा, दिनांक 10 / 01 / 2022

प्रतिलिपि–निर्देशानुसार :–

01. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
02. जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
04. समस्त अनुभाग अधिकारी, नजारत, प्रतिलिपि अनुभाग, हरदा / खिरकिया / टिमरनी की ओर सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, इस विविध आदेश को सूचना पटल पर दृश्यमान स्थल पर चस्पा करे और जिला नाजिर / नायब नाजिर को निर्देशित करे कि इसके अतिरिक्त रजिस्ट्री के पूर्व पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
05. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ हरदा / खिरकिया / टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जेल अधीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. लोक अभियोजन कार्यालय, हरदा की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।
08. अतिरिक्त लोक अभियोजन खिरकिया / टिमरनी की ओर सूचनार्थ ब पालनार्थ प्रेषित।

09. अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, शाखा हरदा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

10. उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय हरदा तथा उप प्रशासनिक अधिकारी, परिवार न्यायालय हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सूचित कराया जाना सुनिश्चित करें।

11. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

12. सिस्टम ऑफिसर/सिस्टम असिस्टेंट, सर्वर रूम जिला न्यायालय, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल व वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित किया जावे व जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जावे।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH**
JABALPUR

---

# CIRCULAR

No. **A/136**/2022 Jabalpur, dated 07.01.2022

Meeting of Hon'ble Special Committee to oversee the demands of Bar Associations with regard to start physical/virtual functioning of District Courts as well as the High Court held on 06.01.2022 and the following resolutions were passed in respect of the District Courts in the State of M.P. :-

**(1)** The Principal District Judges of the concerned district shall have the discretion to decide whether to go for virtual mode, physical mode or through hybrid mode. The Principal District Judges will also have discretion to take decision with regard to closing of Bar rooms, canteens and entry of all the stakeholders in the Court premises. They shall take the aforesaid decisions in consultation with the local Bar Associations and as per the advice of the Portfolio Judge.

**(2)** It is also resolved that, the Vaccination Drive for the Advocates in the High Court Bar Associations, Jabalpur, Indore & Gwalior and also in all Districts Courts including Tahsil Courts of the State, shall be speeded up by organizing Special Camps for advocates with the assistance of the Government, so that, the percentage in respect of 2nd dose of vaccination is augmented.

**(3)** It is further resolved that, the Registrar General shall coordinate with the Government for their assistance in organizing Special Camps of vaccination in the High Court of Madhya Pradesh at Principal Seat Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior and also in all Districts Courts including Tahsil Courts of the State, for Judicial Officers, staff, Advocates and their families.

sd./07.01.2022
**(Rajendra Kumar Vani)**
**Registrar General**

Endorsement No. A/137/2022 Jabalpur, dated 07.01.2022

Copy each is forwarded to;

**1.** The Principal Secretary, Government of M.P., Department of Law and Legislative Affairs, Bhopal with request that necessary assistance in organising Special Camps of vaccination in the High Court of Madhya Pradesh at Principal Seat Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior and also in all District Courts including Tahsil Courts of the State, for Judicial Officers, staff, Advocates and their families may be provided at the earliest.

**2.** The Principal District and Sessions Judges, all in the State for compliance of the resolutions of Honourable the Committee with request that a compliance report in this regard be sent to the Registry at the earliest. It is also requested that if the Principal District and Sessions Judges come across any difficulty in organizing the camps or they need any assistance of the Registry in this regard, the Registry be apprised immediately.

07.1.22
**(Rajendra Kumar Vani)**
**Registrar General**